

प्रेषक,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय,  
8वाँ तल, इन्डिरा भवन,  
लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त नगर आयुक्त,  
नगर निगम, उ0प्र0।
- 2-समस्त अधिशासी अधिकारी,  
नगरपालिका परिषदें/नगर पंचायतें,उ0प्र0।

लखनऊ दिनांक: 30 मई, 2011

विषय: तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के संक्रमण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के आवंटन आदेश संख्या-8/318/152(111)/तृ0रार्विओआ0/2011-12 दिनांक 11-04-2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में व्यवस्थित पुनरीक्षित धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि निदेशालय के उक्त आवंटन आदेश संख्या-8/318/152(111)/तृ0रार्विओआ0/2011-12 दिनांक 11-04-2011 के आलोक में कतिपय निकायों/जिलाधिकारियों द्वारा आवंटित धनराशि कोषागार से प्रतिमाह संक्रमित धनराशि का 1/12 भाग आहरित किये जाने अथवा आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण धनराशि आहरित किये जाने विषयक प्रकरण पर मार्ग दर्शन दिये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध निवेदन है कि निदेशालय के उपरोक्त आवंटन आदेश द्वारा नगरीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में व्यवस्थित पुनरीक्षित धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-874/दस-2011-1/2011 दिनांक 04-04-2011 के प्रस्तर-(3) एवं निदेशालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 11-04-2011 के प्रस्तर (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि “निकायों को आवंटित धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाता में नहीं रखी जायेगी बल्कि निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित की जायेगी।”

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निदेशालय द्वारा उक्त आवंटित धनराशि का आहरण शासन के निर्देशानुसार निकायों को आवंटित धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाता में नहीं रखी जायेगी बल्कि निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित की जायेगी। अतः निदेशालय के आवंटन आदेश संख्या-8/318/152(111)/तृ0रार्विओआ0/2011-12 दिनांक 11-04-2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

कृपया उपरोक्त के द्वितीय नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया

(कु0रेखा गुप्ता) रेखा गुप्ता  
निदेशक | निदेशक

राजनीय निकाय, उ0 प्र0

संख्या एवं दिनांक:तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव,उ0प्र0शासन, नगर विकास विभाग,(अनुभाग-9)लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
- 4- विशेष सचिव, वित्त संसाधन अनुभाग (राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ),उ0प्र0शासन,लखनऊ।
- 5- बजट अधिकारी,वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2,उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 6- वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग,उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त महापौर, नगर निगम/समस्त, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषदें/नगर पंचायतें,उ0प्र0।
- 9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
- 10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8,उ0प्र0शासन, लखनऊ।

(कु0रेखा गुप्ता)

निदेशक

राजनीय निकाय, उ0 प्र0